# प्रेस विज्ञप्ति

**13/7/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने कंपनी मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 11.07.2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल )के निदेशकों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर भी शामिल हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, भोपाल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स जेपीसीपीएल और उसके प्रमोटर-निदेशक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर 196.82 करोड़ रुपये की धनराशि की धोखाधड़ी की। यह भी पता चला है कि कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से क्रेडिट सुविधा के रूप में लिए गए 100 करोड़ रुपये (लगभग) के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके लिए सीबीआई, मुंबई में अलग से एफआईआर दर्ज की गई है।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स जेपीसीपीएल द्वारा कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक से विभिन्न बैंक ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया था। हालाँकि, राशि का कुछ हिस्सा इसके निदेशकों द्वारा निकाल लिया गया था और साथ ही, संबंधित संस्थाओं के माध्यम से नकद निकासी के विभिन्न मामले भी सामने आए हैं। अन्य फर्मों और उनके नियंत्रकों की मिलीभगत से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न कंपनियों को क्रेडिट पत्र जारी करने के कई मामले भी सामने आए हैं। यह भी देखा गया है कि निदेशकों ने गैर-संघ बैंकों में बैंक खाते खोले हैं और विभिन्न देनदारों/ग्राहकों से प्राप्य 167.43 करोड़ रुपये की कुल धनराशि संघ के बाहर इन बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप एचयूएफ के नाम पर अचल संपत्तियों के विवरण और मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के रिश्तेदारों के नाम पर बीमा पॉलिसियों सहित विभिन्न आपत्तिजनक डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई।

आगे की जांच जारी है।